वर्ष 4 अंक 3 1982 मार्च 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

वेतन जाम थोपे जाने का प्रतिरोध करें

7 फरवरी को अखबारों में एक खबर छपी कि जे. सी. एम. में इस बात पर समझौता हो गया है कि डी. ए. की तीन और किश्तें, जो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलनी चाहिएं, इस शर्त पर दी जाएंगी कि मार्च 1982 तक की बकाया राशि को मार्च 1983 तक प्रोविडेन्ट फंड में डाल दिया जाए. यह भी घोषणा की गयी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 320 अंक तक के डी. ए. की छह और किश्ते वेतन के साथ मिला दी जाएंगी लेकिन इसके कारण सी. सी. ए. और मकान किराया भत्ते (एच. आर. ए.) में होने वाली वृद्धि को मार्च 1983 तक प्रोविडेन्ट फंड में डाल दिया जाएगा. कहा गया कि स्टाफ इस बात के लिए राजी हो गया कि अप्रैल 1983 तक कोई भी मुख्य आर्थिक मांग नहीं उठायी जाएगी.

सीटू के अध्यक्ष बी० टी० रणदिवे और महासचिव पी. राममूर्ति ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा—

"सीटू बकाया महंगाई भत्ते और वेतन में डी. ए. जोड़ने से शहरी भत्ते (सी. सी. ए.) और मकान किराया भत्ते (एच. आर ए.) में होनेवाली बढ़ोतरी को जब्त करने के भारत सरकार के फैसले की तीव्र निन्दा करता है. अखबारों में जिसे "समझौता" बता कर ढोल पीटा जा रहा है वह असलियत में सरकार का एकतरफा फैसला है जिसे स्टैंडिंग कमेटी के कुछ उपलब्ध सदस्यों की एक अनौपचारिक बैठक में सुनाया गया था और जिसे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के कुछ नेताओं ने मान लिया बताते हैं. अगर कोई समझौता है, तो वह पर्दे के पीछे हुआ होगा क्योंकि ज्वांइट कन्सल्टेटिव मशीनरी (जे. सी. एम.) तो छोड़ उसकी स्टैंडिंग कमेटी की भी कोई औपचारिक बैठक नहीं बुलाई गयी. यह वेतनजाम थोपने और आपातकाल के दिनों की घृणित अनिवार्य जमा योजना (सी. डी. एस.) को दुबारा लागू करने की तैयारी है."

सीटू केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के सभी हिस्सों से अपील करता है कि वे इस बात को अच्छी तरह समझें कि सरकार के ऐसे बदनाम प्रस्तावों को मानकर वे देश के उस मजदूर वर्ग और मेहनतकश अवाम के साथ विश्वासघात करेंगे जो 19 जनवरी की एक दिन की अखिल भारतीय आम औद्योगिक हड़ताल में शानदार ढग से शिरकत करने के बाद सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों को बदलने के संकल्प के साथ संगठित होकर आगे बढ़ रहे हैं. इस किस्म का कोई भी समझौता मेहनतकश अवाम का जीवनस्तर सुधारने के आम संघर्ष को कमजोर करेगा, इसलिए उन्हें इससे बचना चाहिए.

प्रेस वक्तव्य में उन्होंने आगे कहा "सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के नेताओं तथा भारत के मजदूर वर्ग से सीटू यह भी अपील करता है कि वे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संघर्ष को अपना समर्थन दें तथा लम्बे संघर्ष की तैयारी रखें ताकि उन पर वेतनजाम न थोपा जा सके."

एस. के व्यास, महासचिव, कन्फेडरेशन आफ सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट एम्प्लाईज, के. एम. मेंटयू, महासचिव, डिफेन्स एम्प्लाईज फेडरेशन तथा ओ. एस. त्यागी, सी. एस. वी. वारियर, पथिक बनर्जी, एन. जे. अय्यर, एस. के. दास, जतराना तथा के. आदिनरायण जैसे अन्य नेताओं ने संयुक्त रूप से मंत्रिमंडल सचिव के नाम एक पत्र लिख कर अपना तीव्र विरोध व्यक्त किया है तथा सरकार से आग्रह किया है कि वह कर्मचारियों को होने वाली आमदनी के किसी भी हिस्से को जब्त करने की अपनी योजना पर अमल न करे. एस. के. धर, महासचिव, लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने एक सरकुलर जारी करके कहा है कि वेतन जाम लागू होने पर रेल कर्मचारियों की घर ले जाने वाली तनख्वाह फौरन घट जाएगी.

एस. के. व्यास तथा अन्य नेताओं के संयुक्त पत्र में कहा गया है कि पिछले दो सालों से कुछ प्रमुख मांगों पर—जिनमें 150 रु० प्रति माह की की अंतरिम सहायता की मांग भी शामिल थी—समझौते की बातचीत चल रही है और केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के भीतर पहले ही सुलग रहा असंतोष कभी भी फूट कर बाहर आ सकता है.

समझा जाता है कि उमरावमल पुरोहित (अध्यक्ष, ए. आई. आर. एफ) सचिव, जे. सी. एम. स्टाफ साइड ने 30 जनवरी, 1982 को एक सरकुलर सं० 82/1 जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सरकार के फैसले से उन सभी को फायदा होगा जो 31 जनवरी, 1982 के बाद रिटायर होंगे. इसका अर्थ यही है कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव मंजूर है. इससे इस बात की भी पुष्टि

(पेज चौदह पर)

भारत में ट्रेड यूनियन अधिकारों का हनन

जब श्री फ्रांसिस ब्लाशां भारत सरकार के निमंत्रण पर यहां पधारे, उस समय 27 जनवरी को उनके साथ राष्ट्रीय अभियान समिति में शामिल आठ केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों—सीटू, एटक, एच. एम. एस., बी. एम. एस., इंटक (दारा ग्रुप), यू. टी. यू. सी., यू. टी-यू. सी. (ले. स.) तथा टी. यू. सी. सी.—के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलायी गयी. सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति, संसद सदस्य एवं दिल्ली राज्य समिति के सचिव जोगेन्द्र शर्मा ने इस बैठक में सीटू का प्रतिनिधित्व किया. इस अवसर पर श्री ब्लाशां को इन सभी संगठनों के नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित एक संयुक्त ज्ञापन दिया गया.

भारत में संगठन की आजादी और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को दबाये जाने के संबंध में 14 दिसम्बर को दिए गए एक अन्य संयुक्त ज्ञापन—जिसे आई. एल. ओ. के दफ्तर में केस न० 1100 बनाकर दर्ज किया गया है—का उल्लेख करते हुए इस ज्ञापन में कहा गया:

"आपको पहले दिये गये ज्ञापन में गिनाए गए ट्रेड यूनियन के अधिकारों के हनन और कड़े दमन के बहुसंख्यक केसों के अलावा इस प्रकार के दमन का सबसे ज्यादा ज्वलत और जीता-जागता नमूना है हाल ही में सरकार द्वारा बनाया गया आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण कानून(एसमा). इस कानून के तहत सरकार को किसी भी उद्योग अथवा सेवा को "आवश्यक सेवा" करार देने का अधिकार मिल गया है. किसी भी किस्म की हड़ताल, यहां तक कि "नियमानुसार काम" (कानून द्वारा नियत घंटों में ही काम करना) भी दंडनीय अपराध है. इसी प्रकार हड़तालियों को किसी भी किस्म की मदद पहुंचाना भी दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है और इसमें लम्बी कैद और जुर्माना हो सकता है. इस प्रकार हड़ताल और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार कार्यपालिका की दया पर छोड़ दिया गया है.

इसके अतिरिक्त भारत के संविधान में अनुच्छेद 31(2) (सी) ट्रेड यूनियन आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से रखा गया है क्योंकि इसके तहत किसी भी कर्मचारी को बिना कारण बताये नौकरी से निकाला जा सकता है. यह ध्यान देने की बात है कि जहां ट्रेड यूनियनों के अनगिनत नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस प्रावधान के तहत नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है, वहां आज तक एक भी अफसर बर्खास्त नहीं किया गया है."

हाल ही में हुई १६ जनवरी की अखिल भारतीय हड़ताल और मजदूरों द्वारा उठायी गयी मांगों का जिक्र करते हुए ज्ञापन में भारत सरकार द्वारा चलाए गए दमनचक्र का इस प्रकार ब्यौरा दिया गया :

राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक पर सदन में हुई बहस के दौरान सरकार द्वारा दिए गए इस पवित्र वादे के बावजूद कि इस कानून का इस्तेमाल ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के खिलाफ नहीं किया जायगा और रेडियो और टी. वी. पर की गयी इन पवित्र घोषणाओं के बावजूद कि १६ जनवरी की विरोध हड़ताल के खिलाफ इस कानून को लागू नहीं किया जायगा, देश भर में ५० हजार से अधिक ट्रेड यूनियन नेता व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया. केंद्र तथा राज्य सरकारें मजदूरों को धमका रहीं थी कि अगर उन्होंने हड़ताल में भाग लिया तो उन्हें कड़ा दंड दिया जाएगा—जैसे सेवा में अंतराल (ब्रेक-इन-सर्विस) सात दिन के वेतन की कटौती आदि.

विभिन्न राज्यों से ट्रेड यूनियन नेताओं और कार्यकर्ताओं को बर्खास्त किये जाने के समाचार निरन्तर हमारे दफ्तरों में आ रहे हैं. क्रूर कांड हरियाणा राज्य में हुआ है जहां हांसी कोआपरेटिव स्पिनिंग एवं वीविंग मिल्स लि० तथा हरियाणा कोन्कास्ट हिसार के सभी मजदूरों को, जिनकी संख्या करीब 2,000 है, 19 जनवरी की हड़ताल में भाग लेने के कारण नौकरी से अलग कर दिया गया है.

चूंकि भारत में ट्रेड यूनियन अधिकारों का हनन बहुत ही गंभीर घटना है, अतः ज्ञापन में अनुरोध किया गया कि आई. एल. ओ. की ओर से एक उच्चस्तरीय आयोग का गठन किया जाए जो यहां आकर पूरे मामले की गहराई से छान-बीन करे. ज्ञापन में आशा प्रकट की गई कि आई. एल. ओ. इस अनुरोध पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा.

आई. एल. ओ. सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व देने से इंकार

भारत सरकार से आई. एल. ओ. प्रतिनिधिमंडल के चयन के लिए अपनाए जा रहे तरीके की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया और कहा गया कि :

"भारत की अधिकांश ट्रेड यूनियनें यह मांग करती आ रही हैं कि प्रतिनिधि मंडल का नेता चक्रानुक्रम (रोटेशन) के आधार पर चुना जाए. फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान आदि अनेक देशों में यही तरीका अपनाया जाता है और कोई वजह नहीं कि भारत में इसे न लागू किया जाय कांग्रेस (आई) की सरकार इंटक की छत्रछाया में पल रहे धड़े के प्रतिनिधि को ही आई. एल. ओ. प्रतिनिधिमंडल का नेता चुनती आ रही है क्योंकि उसका कहना है कि यह देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है. इसके कारण देश के अधिकांश मजदूर आई.-एल. ओ. सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि भेजने से वंचित रह जाते हैं.

सरकार केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के बीच आम सहमति चाहती है. आम सहमति कैसे हो सकती है जब इंटक में कांग्रेस (आई) सरकार द्वारा पोषित

(पृष्ठ सात पर)

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश

वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने 8 फरवरी, 1982 को केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं को "संबंधित नीतियों" पर विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया. सीटू, एटक, एच. एम. एस., बी. एम. एस., यू. टी. यू. सी. (ले. स.), प्रतिद्वन्द्वी एच. एम. एस., एन. एल. ओ. एवं एन. एफ. आई. टी. यू. के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया. वार्ता शुरू करते हुए श्री मुखर्जी ने कहा कि बजट को अन्तिम रूप देने से पहले वे अनौपचारिक रूप से उन सभी से मिल रहे हैं जिन्हें मुल्क की माली सेहत की फिक्र है. उन्होंने बताया कि वे अर्थशास्त्रियों तथा उद्योगपतियों से पहले ही मिल चुके हैं. प्रधानमंत्री द्वारा इस वर्ष को "उत्पादन वर्ष" घोषित किये जाने की पृष्ठभूमि में वे श्रमिकों के विचार जानना चाहते थे. वित्त मंत्री ने आम तौर पर दुहराये जाने वाले दावों—उत्पादन में वृद्धि, थोक मूल्यों में वृद्धि पर रोक और कीमतों में गिरावट, मुद्रास्फीति की रोकथाम और बुनियादी उद्योगों पर से सभी पिछली बंदिशों का हटाया जाना—को एक बार फिर दुहराते हुए कहा कि सरकार आयात-निर्यात के बीच के अन्तर और हड़तालों से होने वाली श्रमदिनों की हानि के कारण चिंतित है. उन्होंने उत्पादन में वृद्धि के लिए संगठित मजदूरों का सहयोग मांगा—खासकर सीमेंट, खाने की चीजों तथा खाद्य तेलों के उत्पादन में. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार परस्पर विरोधी मांगों—जैसे किसानों को लाभकारी मूल्य और उपभोक्ता को उचित दाम—के बीच सही संतुलन बिठाने की कोशिश कर रही है.

बैठक में सीटू का प्रतिनिधित्व उसके सचिव का० नृसिंह चक्रवर्ती ने किया. उन्होंने कहा कि बम्बई में 4 जून को हुए सम्मेलन के बाद से लगातार केन्द्रीय ट्रेड यूनियनें सरकार से गंभीरतापूर्वक बातचीत करने के लिए कहती आ रही हैं 23 नवम्बर को हुई ऐतिहासिक रैली में सरकार को भरपूर चेतावनी दिये जाने के बाद भी उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी. दूसरी ओर सरकार ने एसमा का कानून बनाकर 19 जनवरी की आम हड़ताल में शामिल होने वाले मजदूरों पर दमनचक्र चला डाला. इस सिलसिले में का० चक्रवर्ती ने हांसी स्पिनिंग मिल, हरियाणा की मिसाल दी जहां 19 जनवरी की आम हड़ताल में शिरकत करने वाले सभी मजदूरों की नौकरी छीन ली गयी है.

इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाया गया कि तालाबंदी के कारण होने वाली श्रमदिनों की हानि हड़ताल के कारण होने वाली हानि से कहीं ज्यादा है. मैनेजमेंट की गलतियों तथा अनियमितताओं के कारण प्रतिष्ठानों के रूग्ण या बंद हो जाने की घटनाओं ने विकराल रूप ले लिया है और हजारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, का० चक्रवर्ती ने इस सिलसिले में एमको (पश्चिम बंगाल) तथा कामरूप पेपर मिल्स (असम) का हवाला दिया. उन्होंने अप्रत्यक्ष करों और हानि की अर्थव्यवस्था के कारण गरीब और अमीर के बीच की बढ़ती खाई का उल्लेख किया और कहा कि हर पंचवर्षीय योजना के बाद और अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिये जाते हैं जबकि इजारेदार पूंजीपतियों की सम्पत्ति बढ़ती जाती है. कीमतों में वृद्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यद्यपि थोक कीमतें गिर रही हैं पर मजदूर वर्ग का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है. इसका मतलब है कि या तो थोक कीमतों के बारे में सरकारी आंकड़े गलत हैं या बिचौलियों का बहुत ही ताकतवर गिरोह बाजार को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है. का० चक्रवर्ती ने आग्रह किया कि बिचौलियों को हटाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा चीजें मुहैया करायी जायें ताकि किसानों तथा उपभोक्ता दोनों ही संतुष्ट हो सकें. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उठायी गयी मांगों में आपस में कोई विरोध नहीं है.

उन्होंने डी. ए. रोकने या बी. पी. ई. द्वारा निरर्थक बना देने की सरकारी नीति की तीव्र निंदा की और कहा कि बताया जाता है कि सरकार बकाया डी. ए. का भुगतान स्थगित करने और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बकाया राशि न दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, इससे मजदूरों की वास्तविक मजदूरी जो पहले ही लगातार कम होती जा रही है और तेजी से गिरना शुरू हो जायगी. उन्होंने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को खुश करने के लिए सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा अधिनियम में ढील देने और अनेक क्षेत्रों में कम्प्यूटर लगाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह ऐसे वक्त किया जा रहा है जब रोजगार केन्द्रों में दर्ज बेरोजगारों की तादाद डेढ़ करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है और देश में कुल बेरोजगारों की संख्या ५ करोड़ से भी ज्यादा है. जबतक सरकार संगठित मजदूरों के साथ गंभीरतापूर्वक बातचीत करके अपनी नीतियां नहीं बदलेगी, मजदूरों को उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्साहित नहीं किया जा सकता. का० चक्रवर्ती ने पूछा कि जब एसमा की तलवार सर पर लटक रही हो, ऐसे में मजदूर का सहयोग कैसे मांगा जा सकता है.

अन्य नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए कर्ज, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हेरा-फेरी, छटनी, मजदूरों के आवास की समस्या, पेंशन तथा अन्य किस्म की समाजिक सुरक्षा, सहकारी समितियों के द्वारा आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने, विदेशी मुद्रा कमाने वाले उन भारतीय मजदूरों की दशा जो विदेशों में काम कर रहे हैं, मजदूरों की शिक्षा, प्रबंध में मजदूरों की हिस्सेदारी से सम्बद्ध सवाल उठाये.

वित्त मंत्री ने यह कहकर बातचीत का समापन किया कि बैठक में व्यक्त किये गए कुछ विचारों पर आम सहमति नहीं हो सकती पर कुछ विचारों पर कुछ मुद्दों पर मतैक्य संभव है और वह उन्हें अपने ध्यान में रखेंगे.

कैसी विडम्बना है कि जब वित्त मंत्री मजदूरों का सहयोग मांग रहे थे, ठीक उसी वक्त गृह मंत्री यह आदेश जारी करने में व्यस्त थे कि एसमा के अन्तर्गत जितनी भी सेवाएं आती हैं, उन सबमें एन. एस. ए. लागू किया जा सकता है. (इस मुद्दे पर सीटू का वक्तव्य इसी अंक में अन्यत्र देखें).

बागानों में काम के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. एल. ओ.) [illegible]

आई. एल. ओ. द्वारा गठित बागानों पर काम के बारे में समिति ने भारत सरकार से कहा है कि वह आई. एल. ओ. द्वारा तैयार की गयी प्रश्नावली के आधार पर भारत में बागानों की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे. दिसम्बर १९८२ में होने जा रही समिति के आठवें सत्र में इस रिपोर्ट पर विचार होगा.

इससे पहले १५ जुलाई, १९८१ को सीटू ने आई. एल. ओ. के पास यह शिकायत दर्ज की थी कि असम के चाय बागानों में भारत सरकार संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का हनन कर रही है. २९ दिसम्बर को इस सिलसिले में कुछ और तथ्य प्रस्तुत किये गए.

समिति में होनेवाली बहस के लिए सीटू ने सरकार के पास एक विस्तृत टिप्पणी भेजी है जिसमें बागान उद्योग और मजदूरों के रहने और काम करने के हालात के बारे में आल इंडिया प्लान्टेशन्स वर्कर्स फेडरेशन (सीटू) द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी दी गयी है.

उत्पादन में बढ़ोतरी

टिप्पणी में इस बात पर जोर दिया गया कि जहां बागानों के उत्पादन और उनके द्वारा कमायी गयी विदेशी मुद्रा में कमी हुई है, वहां मजदूरों के रहन-सहन के हालात पहले से बदतर हुए हैं. चाय का उत्पादन 1970 में 4,18,517 टन था. 1980 में यह बढ़कर 5,74, 848 टन हो गया.

चाय के निर्यात से कमायी गयी विदेशी मुद्रा 1978-79 में 340.45 करोड़ रु० थी, 1980-81 में यह बढ़कर 424.49 करोड़ रु० हो गयी.

काफी का उत्पादन 1974-75 में 92, 506 टन से बढ़कर 1977-78 में 1,21,000 टन हो गया तथा उसका निर्यात मूल्य 1975-76 में 66.65 करोड़ रु० से बढ़कर 1977-79 में 133.53 करोड़ रु० तक पहुंच गया. रबर और इलायची के उत्पादन में भी ऐसी ही बढ़ोतरी देखी गयी.

रोजगार में कमी

जहां उत्पादन बढ़ रहा है, वहीं रोजगार लगातार घट रहा है. आजादी के बाद से बागान उद्योग में लगे व्यक्तियों की संख्या 10 लाख से घटकर 1971 में 7,13,106 रह गयी 1951 से 1971 के बीच के 20 सालों में केवल रबर और चाय की प्रोसेसिंग में ही मशीनीकरण के कारण मजदूरों की संख्या में 30 प्रतिशत की कमी हुई है. इसके अलावा बागानों में काम करने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद का रोजगार मौसमी होता है और उन्हें साल में सिर्फ तीन या चार महीने काम मिलता है.

काम के बोझ मे बढ़ोतरी

इस सबका स्वाभाविक परिणाम यह होता है कि मालिक मजदूरों पर लगातार काम का बोझ बढ़ाते जाते हैं. केवल चाय का उत्पादन ही 1952 में 278.6 किलो प्रति मजदूर से बढ़कर 1971 में 568 किलो प्रति मजदूर हो गया यानि प्रति मजदूर 103 प्रतिशत की वृद्धि.

मजदूरों के हालात

मजदूरी

कई बार हड़ताल करके मजदूरी बढ़वाने के बावजूद आज भी मजदूरों को असामान्य रूप से कम मजदूरी मिलती है. विभिन्न राज्यों में—बल्कि एक राज्य के भीतर भी—मजदूरों को एक-सी मजदूरी नहीं मिलती. 1976 में इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट बन जाने के बाद भी पुरुषों और महिलाओं को बराबर मजदूरी नहीं मिल रही.

आवास

1973 में 10,899 मकान बनाने की मंजूरी दी गयी थी, लेकिन असल में केवल 2,859 मकान ही बनाये गए, इस काम में केवल 1,47,369 रु० खर्च किये गये जबकि 2,98,512 रु० की राशि मंजूर की गयी थी. प्लान्टेशन लेबर एक्ट के ढीलेपन का फायदा उठाकर मालिक बाहर के मजदूर भर्ती कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए मकान बनाने की कोई कानूनी मजबूरी नहीं है. मालिकों को घर बनाने के लिए सहायता और कर्ज दिये जाने के बावजूद मकान नहीं बनाये जाते. मजबूरन मजदूर झोपड़ियों में रहते हैं, और कभी-कभी तो एक ही कमरे में दो-तीन परिवारों को समाना पड़ता है.

शिशु-केन्द्र

यद्यपि प्लान्टेशन लेबर एक्ट के तहत उन सभी बागानों में जहां 50 से अधिक महिलाएं काम करती हैं, शिशु केन्द्र खोले जाने चाहिएं, और यद्यपि मजदूरों में 40 प्रतिशत महिलाएं हैं, बागान मालिक इस प्रावधान को नजर-अंदाज कर देते हैं और बार-बार शिशुकेन्द्रों की मांग उठायी जाने के बावजूद सरकार उदासीनता का रवैया अपनाये रहती है.

काम के घंटे

एक्ट की बड़ी खामियों में एक है हफ्ते में 54 घंटे काम. लम्बे और कड़े संघर्षों के बाद कुछ जगहों पर मजदूरों ने मैनेजमेंट को इसे घटा कर 48 घंटे करने पर मजबूर कर दिया है. सरकार को इस कानून में संशोधन कर काम के घंटे घटा कर 48 घंटे करने पर विवश होना पड़ा. लेकिन इस संशोधन के अमल में न लाने के लिए मालिकों ने अदद के हिसाब से भुगतान करना शुरू कर दिया...खासकर मौसमी मजदूरों को.

चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव

चिकित्सा की सुविधाएं तो लगभग हैं ही नहीं. अधिकतर बागानों में न कोई औषधालय है, न कई डाक्टर या हकीम, यहा तक कि दाई भी नहीं है. दवाएं उपलब्ध नहीं होतीं. एम्बुलस के अभाव में बीमार मजदूर मीलों दूर के अस्पताल तक जाते-आते रास्ते में ही मर जाते हैं. गर्भावस्था के समय महिला मजदूरों को मातृत्व अवकाश तक नहीं दिया जाता और वे खेतों में बच्चे जनती हैं. बार-बार विरोध करने पर भी मजदूर आदिम स्थितियों में रहने को विवश हैं.

(पेज छ: पर)

सीटू द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून विज्ञप्ति की भर्त्सना

सेंटर श्राफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के अध्यक्ष कामरेड बी.टी. रणदिवे और महासचिव कामरेड पी. राममूर्ति, संसद सदस्य ने 9 फरवरी को निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया—

"सीटू भारत सरकार के गृहमंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति की भर्त्सना करता है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की गरज से देश के सभी प्रमुख आर्थिक क्रिया-कलापों को "आवश्यक" घोषित कर दिया गया है. यह सरकार की धोखाधड़ी की हद है कि एक ओर इसको गृहमंत्रालय रा सु का लागू करने की धमकी देता है और दूसरी ओर इसका वित्तमंत्री उत्पादन बढ़ाने और आयात-निर्यात के बीच संतुलन बिठाने के लिए मजदूरों के सहयोग की मांग करता है.

यह विज्ञप्ति संसद में दिये गये इस आश्वासन की बेशर्मी के साथ अवहेलना करती है कि रा.सु.का. ट्रेड यूनियन आंदोलन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इस विज्ञप्ति ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एसमा) को और भी अधिक घिनौना बना दिया है क्योंकि अब कार्यपालिका को यह अधिकार मिल गया है कि वह बिना मुकदमा चलाए सिर्फ इस संदेह के आधार पर जब चाहे ट्रेड यूनियन नेताओं को गिरफ्तार कर सकती है कि आवश्यक सेवाओं में रुकावट आएगी. एसमा में जोड़ा गया यह राक्षसी प्रावधान वास्तव में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को छीनने के लिए लाया गया इमर्जेंसी कानून है.

यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि बजट सत्र के ठीक पहले इस प्रकार की विज्ञप्ति जारी की गयी है. आई. एम. एफ. और विश्व बैंक द्वारा दिये गए कर्ज की शर्तों के बारे में हर कोई जानता है. 19 जनवरी की हड़ताल तथा ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति के इस निर्णय के कि अगला कार्यक्रम तय करने के लिए अप्रैल में एक सम्मेलन किया जाए, के ठीक बाद इस विज्ञप्ति के जारी किए जाने से किसी के भी मन में यह संदेह नहीं रहा कि सरकार न केवल आने वाले बजट में जनता पर और अधिक तकलीफें लादना चाहती है बल्कि एकाधिकारवाद की ओर बढ़ने और जीवनस्तर सुधारने के लिए मेहनतकश जनता द्वारा छेड़े जा रहे सभी संघर्षों को कुचलने के लिए उसने स्वयं को काले कानूनों से लैस भी कर लिया है.

सीटू सरकार को चेतावनी देता है कि देश का मजदूर वर्ग अपने बुनियादी ट्रेड यूनियन अधिकारों का छीना जाना मूक दर्शक बनकर नहीं देखेगा, और साथ ही सभी ट्रेड यूनियनों तथा अन्य जन संगठनों से अपील करता है कि ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों पर सरकार के हमलों का जवाब देने के लिए एकजुट होकर आगे आएं.

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की भर्त्सना करते हुए अनेक सगठनों जैसे बैंक एम्प्लाईज फेडरेशन, पश्चिम बंगाल, आल इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी आफ इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियंस, स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया आदि ने वक्तव्य जारी किए हैं.

सीटू द्वारा डाक-तार सेवाओं की दरों में बढ़ोतरी की भर्त्सना

सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू) के अध्यक्ष कामरेड बी. टी रणदिवे और महासचिव कामरेड पी. राममूर्ति, संसद सदस्य, ने 3 फरवरी को निम्नलिखित बयान जारी किया.

"सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स डाक तार सेवाओं की दरों में 100 करोड़ रु0 प्रति वर्ष की भारी वृद्धि की भर्त्सना करता है क्योंकि तार, मनीआर्डर और रजिस्ट्री आदि की दरों में बढ़ोतरी से आम आदमी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है जिस तरीके से संसद का बजट सत्र शुरू होने के ठीक पहले इस वृद्धि की घोषणा की गयी है, सीटू उसकी भी भर्त्सना करता है क्योंकि अब संसद में इस बढ़ोतरी को एक तथ्य के रूप में पेश किया जाएगा.

सीटू की पक्की राय है कि हाल ही में रेल भाड़े और मालगाड़ी की दरों में की गयी वृद्धि और अब डाक-तार सेवाओं की दरों में की जा रही यह बढ़ोतरी भारत सरकार द्वारा आई. एम. एफ, से कर्ज लेने का सीधा नतीजा है यह आने वाले बजट में लगाए जाने वाले करों. और अन्य शुल्कों में वृद्धि का पूर्वाभास हैं और इससे आसमान छूती महंगाई और मुद्रास्फीति की मार सह रहे आम आदमी की जिन्दगी असह्य बन जाएगी.

सीटू देश के समूचे मजदूर वर्ग का आह्वान करता है कि वह सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों का जबर्दस्त विरोध करे और बढ़ती कीमतों तथा श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार की जनविरोधी एवं मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को आगे ले जाए.

चौगुले मैंटरिक्स हौब्स के श्रमिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

आंध्रप्रदेश में चौगुले मैंटरिक्स हाब्स के मजदूर 27 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. इटली के सहयोग से यह कंपनी, गेयर हाब्स तथा कटर्स का निर्माण करती है इसका प्लांट हैदराबाद के पास पटनचेरु में है. मजदूरों को बहुत कम पैसा मिलता है. न्यूनतम मजदूरी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी से भी कम है. अपनी शक्ति के नशे में चूर मैनेजमेंट ने चौगुले मैंटरिक्स हाब्स के कर्मचारी यूनियन स्थापित करने तथा मांगपत्र देने वाले बारह कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया, चार को मुअत्तल कर दिया तथा अन्य बारह को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किया. आंध्र प्रदेश सरकार ने यूनियन द्वारा की गई बातचीत की मांग को अनसुना कर दिया. लेकिन निर्भय मजदूर अपने संघर्ष को अत्यन्त साहस के साथ आगे बढ़ा रहे हैं.

इस्पात मजदूर देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे

3-4 फरवरी को भिलाई में हुई स्टील वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया की कार्यकारिणी की पहली बैठक ने अपना 46-सूत्री मांगपत्र मनवाने के लिए भारत भर के इस्पात संयत्रों में आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया.

फेडरेशन का निर्माण 8-10 जनवरी को दुर्गापुर में हुए अखिल भारतीय सम्मेलन में किया गया था. कार्यकारिणी ने ठेके पर मजदूर रखने (कांट्रेक्ट लेबर सिस्टम) की प्रथा के अब तक जारी रहने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया. इस प्रथा के कारण इस्पात उद्योग में 75 हजार से अधिक ठेके पर पर काम करने वाले मजदूर हैं. इन्हें बेहद कम मजदूरी मिलती है और मजदूर को मिलने वाली प्राथमिक सुविधाएं भी मयस्सर नहीं होतीं. मुख्य मालिक का कानूनी कर्तव्य निभाने से मैनेजमेंट लगातार बचता आ रहा है. फेडरेशन ने मांग की कि समान वेतन और काम की शर्तें लागू की जाएं और ठेके पर काम कर रहे सभी मजदूरों को क्रमशः पक्की नौकरी दी जाय. फेडरेशन ने इस्पात उद्योग में १००० रु० प्रति माह के न्यूनतम वेतन की भी मांग की. फेडरेशन से सम्बद्ध यूनियनें अपने-अपने मैनेजमेन्ट को पहले ही मांगपत्र दे चुकी हैं.

कार्यकारिणी ने 19 जनवरी की देशव्यापी हड़ताल में शामिल होने के लिए 2 लाख इस्पात मजदूरों को बधाई दी. दुर्गापुर स्टील प्लांट, एलाय स्टील प्लांट, टिस्को, बोकारो, राउरकेला, मैसूर आयरन वर्क्स, भद्रावती और सेन्ट्रल मार्केटिंग आर्गेनाइजेशन में हड़ताल कामयाब रही. सभी इस्पात संयत्रों के ठेके पर काम कर रहे मजदूर भी हड़ताल में शामिल हुए, साथ ही इस्पात संयत्र के नीचे की खानों में काम करने वाले मजदूर भी.

कार्यकारिणी ने मैनेजमेंट की भर्त्सना की कि वह बदला चुकाने की गरज से हड़ताली मजदूरों को 'कारण बताओ' नोटिश और चार्ज-शीट दे रहा है, और मांग की कि इन्हें तुरन्त वापस लिया जाए, कार्यकारिणी ने विभिन्न स्थानों—खास कर जमशेदपुर भिलाई और काल्टा आयरन और माइन्स—पर अधिकारियों द्वारा लगभग 500 मजदूरों को गिरफ्तार करने और दमनकारी कदम उठाने की भी भर्त्सना की. भिलाई में तो पुलिस के लाठीचार्ज से अनेक मजदूर महिलाएं भी घायल हुईं.

कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित करके बरसुआ आयरन और माइन्स के मजदूरों को उनकी शानदार अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बधाई दी और काल्टा आयरन और माइन्स में मैनेजमेंट द्वारा पहले किये जा चुके फसलों के लागू होने की मांग की. कार्यकारिणी ने यह भी मांग की कि सभी इस्पात संयंत्रो में मजदूरों को विक्टिमाइज करने के लिए उठाए गए कदम वापस लिए जाएं और ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की हाल ही में हुई हड़ताल के दौरान बर्खास्त किए गए आठ मजदूरों को पुनः काम पर लिया जाए.

एक अन्य प्रस्ताव में कार्यकारिणी ने दुर्ग के केस्टरा गांव में सवर्ण हिन्दू जमींदारों द्वारा पुलिस के साथ मिलकर 14 हरिजनों की नृशंस हत्या किये जाने की भर्त्सना की और मांग की कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए.

4 फरवरी को लाल मदान में एक रैली आयोजित की गयी जिसे सीटू के सचिव एम. के. पंधे, फेडरेशन के कार्यकारी अध्यक्ष दिलीप मजुमदार और महासचिव जीवन रे तथा पी. के. मोइत्रा आदि ने सम्बोधित किया.

बागानों में काम पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन समिति

पेज चार से

समाजिक सुरक्षा

मजदूरों को न बीमारी में दवा-दारू के लिए सहायता मिलती है और न ही ग्रेच्युटी, बुढ़ापे की पेंशन आदि कोई सामाजिक सुरक्षा ही उपलब्ध है. महिला मजदूरों को मातृत्व अवकाश तक नहीं दिया जाता और प्रसुति के पहले या बाद में छुट्टी मांगने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है,

नौकरी की असुरक्षा

बढ़ते हुए संघर्षों के जवाब में मालिकों ने चाय बागानों के रुग्ण होने का बहाना बनाकर उन्हें बन्द करना शुरू कर दिया है. पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार ने ऐसी हालत में हस्तक्षेप किया और जब कुछ बंद किये गये चाय बागानों को मजदूरों की सहकारी समितियों ने चलाया तो पाया गया कि उन बागानों की हालत एकदम दुरुस्त थी.

संगठन की आजादी

भारत सरकार ने आई० एल० ओ० के कन्वेंशनों 87 (1948), 98 (1949), 135 (1971), 141 (1975) तथा सिफारिशों 147 (1971), और 149 (1975) को आजतक स्वीकार नहीं किया है. इन कन्वेंशनों और सिफारिशों का सम्बन्ध संगठन की आजादी और सामूहिक सौदेबाजी से है. इससे बागान मालिकों का सीना चौड़ा हुआ है और वे मजदूरों के संघर्षों को पुलिस तथा समाजविरोधी तत्वों की सहायता लेकर कुचलने की कोशिश करते हैं. कृष्णकली, चेपर, नागरीजुली, टीटाबार आदि स्थानों पर चायबागानो के मजदूरों पर हुए बर्बर हमलों के बारे में सीटू आई. एल. ओ. के पास पहले ही अपनी शिकायतें दर्ज करा चुकी है. इन स्थानों पर पुलिस फायरिंग और हिरासत में मजदूर मारे गए, उनके घर जला कर तहस-नहस कर दिए गए और उनकी औरतें बेइज्जत की गयीं. बोनस तथा अन्य सामाजिक-आर्थिक मांगों के लिए होने वाले मजदूरों के संघर्षों को पुलिस और इंटक के गुंडों की मदद से दबा कर यह अभूतपूर्व दमनचक्र तेज किया जा रहा है.

आई. एल. ओ., मानव अधिकार समिति तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हस्तक्षेप करने से सभी में मजदूरों को बुनियादी हकों की हिफाजत करने की चेतना पैदा करने में अवश्य मदद मिलती है. दमनचक्र तेज होने के बावजूद अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा के लिए मजदूरों के बढ़ते संघर्ष सरकार पर जरूर इस बात के लिए दबाव डालेंगे कि वह आई एल. ओ. के कन्वेंशन और सिफारिशें मानकर अन्तर्राष्ट्रीय मानदंड कायम रखे.

भेल मैनेजमैंट की टालमटोल की नीति

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) का मैनेजमैन्ट कर्मचारियों की एक अरसे से चली आ रही मांगों पर टालमटोल की नीति अपना रहा है जिसके कारण 15 जनवरी को दिल्ली में हुई भेल की संयुक्त समिति की बैठक में मजदूरों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आयीं.

यह बैठक तीन महीने बाद हो रही थी अभी इसके पहले मैनेजमैंट द्वारा तीन बार आगे के लिए टाली जा चुकी थी. जनवरी 1980 में समझौता होने के बाद से अबतक संयुक्त समिति की बैठक में एक भी मुद्दा हल नहीं हुआ है और मैनेजमैन्ट समय-समय पर टालने वाले जवाब देता रहा है. मजदूर प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श को टालने के लिए संयुक्त समिति की बैठक बहुत कम बुलाई जाने लगी.

कई मौकों पर मकान भाड़ा भत्ता, शहरी भत्ता, यात्राव्यय भत्ता आदि के सवालों पर बात होती रही है पर मैनेजमैन्ट इन मुद्दों पर पालथी मारे बैठा है. जब भेल मैनेजमैन्ट ने किसी मांग का औचित्य स्वीकार किया भी, तो सरकार और बी. पी ई. ने उसमें टांग अड़ा दी.

अनेक दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की तरह ही दिल्ली में काम करने वाले भेल कर्मचारी 35 प्रतिशत मकान भाड़ा भत्ते की मांग करते आ रहे हैं. संयुक्त समिति की बैठक में मैनेजमैंट ने मांग को उचित माना पर सरकार ने इसे ठुकरा दिया और संयुक्त समझौता-वार्ता खटाई में पड़ गयी.

इन भत्तों का निपटारा न होने के कारण हैदराबाद और तिरुचि में आंदोलन उठ खड़े हुए पर अभी तक मैनेजमैन्ट टस से मस नहीं हो रहा.

इस वक्त लागू समझौता 31 अगस्त, 1982 को समाप्त हो जाएगा पर अभी नये समझौते पर बात चीत तक शुरू नही हुई है. ट्रेड यूनियनों ने मांग की है कि नये समझौते पर तुरन्त बातचीत शुरू की जाए जिससे पुराना समझौता खत्म होने तक नया समझौता बनकर तैयार हो जाए.

सीटू की ओर से एम. के. पंधे और संबाशिव राय (हैदराबाद) ने बैठक में भाग लिया.

फार्म IV

1. प्रकाशन का स्थान	6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली 110001
2. प्रकाशन अवधि	मासिक
3. मुद्रक का नाम	एम. के. पंधे
क्या भारतीय नागरिक है ?	हां
पता	6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
4. प्रकाशक का नाम	एम. के. पंधे
क्या भारतीय नागरिक है ?	हां
पता	6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
5. संपादक का नाम	एम. के. पंधे
क्या भारतीय नागरिक है	हां.
पता	6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
6. उन लोगों के नाम जो पत्र के स्वामी और हिस्सेदार हैं अथवा	सेंटर आफ इडियन ट्रेड यूनियन्स,
सपूर्ण पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार हैं.	6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

मैं. एम. के. पंधे, प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दिए गए तथ्य मेरी सम्पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के आधार पर सही हैं.

दिनांक 25 फरवरी, 1982

हस्ताक्षरित
एम. के पंधे
प्रकाशक

ट्रेड यूनियन अधिकारों का उलघन

[पेज दो से]

घड़े के पास प्रतिनिधित्व का एकाधिकार है और वह हमेशा इस एकाधिकार को खत्म करने के किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर सकता है ?"

सदस्य संख्या के सत्यापन के लिए अपनायी जा रही वर्तमान घोर अवैज्ञानिक पद्धति, जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त यूनियनों के हित में इस्तेमाल किया जाता है तथा जिसे अन्य यूनियन अस्वीकार करती हैं, का जिक्र करते हुए ज्ञापन में संकेत किया गया कि—

"मालिकों के साथ मिली-भगत करके सदस्य संख्या को बहुत अधिक बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है तथा सत्यापन अधिकारी सरकार के आदेशों पर काम करते हैं. उनके तथाकथित "सत्यापन" की पोल तब अच्छी तरह खुलती है जब मजदूरों को स्वतंत्र रूप से वोट देने का मौका मिलता है. अधिकारियों द्वारा घोषित "प्रतिनिधि" यूनियनों की इन स्वतंत्र चुनावों में अच्छी मिट्टी-पलीद होती है और अक्सर उन्हें मजदूरों के सबसे कम संख्या में वोट मिलते हैं.

पी राममूर्ति, जिन्हें आम सहमति से मुख्य प्रवक्ता चुना गया था, ने तर्कपूर्ण ढग से उदाहरण देते हुए ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों को विस्तार से समझाया. पार्वती कृष्णन (एटक) तथा अन्य नेताओं ने अनेक दूसरे उदाहरण देकर उनकी बात की पुष्टि की. श्री ब्लाशां ने केन्द्रीय नेताओं को आश्वासन दिया कि वे आई. एल. ओ. कार्यपद्धति के तहत संगठन की आजादी से सम्बन्धित कमेटी के माध्यम से यह मामला आई. एल. ओ. प्रबंध समिति के सामने पेश करगे.

19 जनवरी को देशव्यापी समर्थन

राजनीति प्रेरित विद्वेषपूर्ण प्रचार, सरकार द्वारा दी गयी धमकियों और कांग्रेस (आई)—इंटक के गुंडों द्वारा खुलेआम की गयी गुंडागर्दी के बावजूद १९ जनवरी की देश व्यापी हड़ताल भारत सरकार की मजदूर विरोधी और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आजादी के बाद मजदूर वर्ग के पहले संयुक्त आंदोलन के रूप में इतिहास के पृष्ठों पर अंकित हो गयी. इस हड़ताल में भाग लेनेवाले 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने मजदूर वर्ग के नेतृत्व में किसानों, खेतिहर मजदूरों और समूची मेहनतकश जनता के साथ अपना भाग्य जोड़कर एक नया इतिहास रचा !

अब तक आ रही रिपोर्टों से साफ जाहिर है कि जम्मू-कश्मीर से लेकर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तक सभी राज्यों में मजदूरों ने विराट संख्या में इस हड़ताल में भाग लिया.

आकाशवाणी औरदूरदर्शन पर सूचना एंव प्रसारण मंत्री के आदेश के तहत प्रसारित की गयी झूठी खबरें ही सरकार को दिलासा दे पायीं.

राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट इस प्रकार है

त्रिपुरा

यद्यपि केवल औद्योगिक हड़ताल का आह्वान किया गया था, पर उसने लगभग बंद का रूप ग्रहण कर लिया था ! केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र, परिवहन, रबर, चाय, जूट, ओ० एन० जी० सी०, एल० आई० सी०, जी० आई० सी०, बैंक, व्यावसायिक और अपने व्यवसाय में लगे, लोग, खेतिहर मजदूर, शिक्षक, छात्र आदि सभी ने हड़ताल में भाग लिया. राज्य भर में विशाल रैलियां की गयीं ! कांग्रेस (आई) के गुंडों ने गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की पर उन्हें भागना पड़ा.

असम :

इटक द्वारा समर्थित फूटपरस्त ताकतों की सभी कोशिशों को मजदूरों की बढ़ती हुए एकता ने नाकाम कर दिया. हड़ताल के कारण राज्य भर में छोटी-बड़ी अनेक फैक्ट्रियां बंद हो गयीं. प्लाईवुड उद्योग के सोलह हजार मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया. सौ चाय बागानों में मजदूर हड़ताल पर रहे. हिन्दुस्तान स्टील, आई० ओ० एल०, सेन्ट्रल इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, भारत जूट मिल्स आदि में हड़ताल को शानदार सफलता मिली. दूम दूमा में सम्पूर्ण बंद रहा. गौहाटी नगर निगम के हरिजन मजदूरों ने हड़ताल में शिरकत की. बक, एल० आई० सी० और जी० आई० सी० में काम एकदम ठप्प रहा. बोंगाई गांव रिफाइनरी और पेपर मिल को बंद होना पड़ा. गोअलपारा तथा राज्य के कई दूसरे हिस्सों में परिवहन पूरी तरह ठप्प हो गया. पुलिस ने ब्रह्मपुत्र जूट मिल्स के मजदूरों को उनके घरों से बाहर घसीटने की असफल कोशिशें की. डिब्रूगढ़ में पुलिस ने जबर्दस्ती दुकान खुलवायीं. सोआलकुची के मजदूर भी हड़ताल की मुख्य धारा में आ मिले. गौहाटी में पत्रकारों ने और नालबारी के मजदूरों ने दो घंटे काम बंद रखा. रेल, रक्षा और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर इसे एकजुटता दिवस के रूप में मनाया.

बिहार :

बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा 'देखते ही गोली मार देने' का आदेश दिये जाने के बावजूद राज्य अभियान समिति द्वारा दिये गये बिहार बंद के आह्वान को शानदार सफलता मिली. सरकार मंत्रियों तथा कांग्रेस (आई) के गुंडों की धमकियों और आतंकित करने की कोशिशों का सामना करते हुए औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों ने भारी संख्या में हड़ताल में भाग लिया. यातायात पूरी तरह ठप्प रहा. दुकाने बंद रहीं. बैंकों, एल० आई० सी० और जी० आई० सी० में काम पूरी तरह ठप्प हो गया. फार्मेसी उद्योग के मजदूरों ने हड़ताल रखी. 20 जनवरी को एक भी अखबार नहीं निकला. यहां तक कि ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई. 18 जनवरी की रात को पटना में 2,000 मजदूरों के मशाल जुलूस पर समाज-विरोधी तत्वों ने हमला किया जिसमें कई मजदूर घायल हो गए, युवा कांग्रेस के गुंडों ने एल आई सी की यूनियन के दफ्तर पर हमला किया. बैंक कर्मचारियों की एक सभा पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया 18 जनवरी से ही भारी संख्या में गिरफ्तारियां की जाने लगीं. पर सरकार के इस भारी दमन के बावजूद राज्य के सभी शहरों और कस्बों में वीरानी और सन्नाटा रहा. केवल विशाल रैलियां ही राज्य भर में जीवन के स्पंदन का प्रतीक थीं. इन रैलियों में जनता की मांगों से सम्बद्ध नारे लगाए गए और तानाशाही सरकार के 'देखते ही गोली मार देने' के आदेश की भर्त्सना की गयी. यह पहली कांग्रेस (आई) सरकार है जिसे बिहार बंद के विरोध में इस तरह मुंह की खानी पड़ी.

आकाशवाणी द्वारा प्रसारित झूठ के खिलाफ जनता की प्रतिक्रिया 21 जनवरी को पटना में आकाशवाणी केन्द्र के बाहर एक विशाल प्रदर्शन से रूप में व्यक्त हुई.

बिहार सरकार के शक्ति प्रदर्शन का सही जवाब निर्भीक मजदूरों ने 3 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर राज्य अभियान समिति द्वारा आयोजित विशाल संयुक्त रैलियों के माध्यम से दिया.

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में 19 जनवरी कांग्रेस (आई) गुंडों के पूरी तरह बौखला जाने का एक और अवसर था. जनता की चेतना और वाम-मोर्चा सरकार को उनका भारी समर्थन समूचे राज्य में सम्पूर्ण बंद के रूप में व्यक्त हुआ. यह 3 अप्रैल को कांग्रेस (आई) द्वारा आयोजित बंद जिसमें उसने अभूतपूर्व हिंसा की थी और जिसे जनता ने ठुकरा दिया था, से ठीक उल्टी स्थिति थी.

दस लाख से अधिक मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सा लिया. बड़े और छोटे औद्योगिक संयंत्रों के अतिरिक्त सरकारी दफ्तरों, बैंकों,

बीमा दफ्तरों और निजी प्रतिष्ठानों में भी वीरानी छायी रही दार्जिलिंग के चाय बागानों और आसनसोल-रानीगंज के इस्पात संयंत्र और कोयला खानों में मजदूरों ने हड़ताल रखी. शिक्षा संस्थान बंद रहे. हावड़ा और स्यालदह रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डे तथा कलकत्ता और हल्दिया बंदरगाह में काम पूरी तरह ठप्प रहा. लोगों के चेहरों पर इंदिरा गांधी के तानाशाही शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए वामपंथी और जनवादी ताकतों को मजबूत बनाने का संकल्प चमक रहा था.

उड़ीसा

करीब 1,500 लोग गिरफ्तार किए गए. अनेक स्थानों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, इंटक और मैनेजमेंट के गुंडों ने मजदूरों पर हमले किए और भुवनेश्वर, कटक तथा अन्य स्थानों पर सेना ने मार्च-पास्ट की. पर राज्य भर में मजदूरों ने भारी संख्या में हड़ताल में भाग लिया और उन्हें कोई भी ताकत न रोक सकी. राउरकेला इस्पात संयंत्र तथा खानों और उर्वरक संयंत्रों में हड़ताल कामयाब रही. भुवनेश्वर, पुरी, कटक, बरहमपुर, बालासोर, संभलपुर, पारादीप, धेंकनल आदि स्थानों पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मजदूर भारी संख्या में हड़ताल में शामिल हुए. इन स्थानों पर सम्पूर्ण बंद भी रहा.

जम्मू-कश्मीर

बैंक, एल. आइ. सी, और जी. आई. सी. कर्मचारियों की सम्पूर्ण हड़ताल के अतिरिक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों ने भी व्यापक पैमाने पर हड़ताल में भाग लिया. सभी जगहों पर जन रैलियां की गयीं. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों ने रैलियों में भाग लेकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित की.

हिमाचल प्रदेश

पुलिस के कड़े दमन का सामना करते हुए मजदूरों ने परिवहन, बिजली, बैंकों, एल. आई. सी., जी. आई. सी. तथा होटलों में पूर्ण हड़ताल रखी.

पंजाब

राजपुर, मोहली, खरड़, अबोहर, मलूत मंडी, गोबिन्दगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर आदि औद्योगिक केन्द्रों में पूर्ण हड़ताल रही. दुकानदारों ने भी दुकानें बंद रखीं. चंडीगढ़ में भी हड़ताल आम तौर पर सफल रही. सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के एक बड़े हिस्से ने भी हड़ताल में भाग लिया. अनेक स्थानों पर यातायात ठप्प रहा. बैंक, एल. आई. सी. और जी. आई. सी. के कर्मचारियों ने पूर्ण हड़ताल रखी. पुलिस और बी. एस. एफ. की टुकड़ियां सभी औद्योगिक केन्द्रों में मोर्चा जमाए रहीं. मिली रिपोर्टों के अनुसार कांग्रेस (आई) के मंत्री और इंटक नेता भी हड़ताल तुड़वाने के लिए पुलिस के साथ मिल गए. सभी केन्द्रों पर विशाल प्रदर्शन और रैलियां की गयीं.

हरियाणा

सभी औद्योगिक केन्द्रों से पूर्ण हड़ताल की रिपोर्ट मिली है. बर्बर दमन का सामना करते हुए हिसार फरीदाबाद, सोनीपत सिरसा, गुड़गांव, हांसी, आदि स्थानों पर मजदूरों को शानदार सफलता मिली. हिसार में स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा आकर सभी मजदूरों को नौकरी से निकालने के निर्देश भी हरियाणा कोन्कास्ट और हांसी स्पिनिंग मिल्स के मजदूरों को हड़ताल में शामिल होने के फैसले से नहीं डिगा पाए. बर्बर लाठी चार्ज और व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियों का हरियाणा के दृढ़संकल्प मजदूरों पर कोई असर नहीं हुआ.

दिल्ली

राजधानी के मजदूरों ने भी उसी शान के साथ हड़ताल को कामयाब बनाया जिस तरह देश के अन्य मजदूरों ने. सभी औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग पूरी हड़ताल रही. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और बी० एस० एफ० बटालियनों और पुलिस तथा कांग्रेस (आई) नेताओं की सारी कोशिशों के बावजूद मजदूरों को काम पर नहीं घासीटा जा सका. होटल मजदूरों, विश्वविद्यालय कर्मचारियों, छात्रों, शिक्षकों तथा अखबारों में काम वाले कर्मचारियों—सभी ने हड़ताल में भाग लिया. दूसरे रज्यों की भांति स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक सहित सभी बैंकों, एल० आई० सी० और जो० आई० सी० के कर्मचारियों ने पूरी हड़ताल रखी.

उ० प्र०

इंटक और समाजविरोधी तत्वों द्वारा लड़ाई-झगड़ा भड़काने के बावजूद और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां तथा वाराणसी में तीन व्यक्तियों को गोली से उड़ा देने के बावजूद, सभी औद्योगिक केन्द्रों में लगभग पूरी हड़ताल रही. कानपुर में इंडियन ऑयल, जे. के. जूट मिल, स्वदेशी काटन मिल, म्योर मिल आदि में सफलता पूर्वक हड़ताल की गयी. गोरखपुर उर्वरक कारखाने में हड़ताल सफल रही. बैंकों, एल. आई. सी. और जी. आई. सी. तथा चीनी, इंजीनियरिंग, कपड़ा, सीमेन्ट, चायबागान, रसायन, तथा अल्यूमिनियम उद्योगों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि इन उद्योगों में पूर्ण हड़ताल रही. इसी प्रकार की रिपोर्ट लाइम स्टोन और डोलोमाइट खदानों, पंतनगर कृषि फार्म और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार से भी मिली हैं. अखबारों के कर्मचारी भी इस मुख्यधारा में शामिल रहे.

राजस्थान

सभी औद्योगिक स्थानों वर कामयाब हड़तालें होने की रिपोर्ट मिली हैं. जयपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर आदि अनेक शहरों में बंद रखा गया. राज्य भर में बस सेवा अस्तव्यस्त रही. बैंकों, एल. आई. सी. और जी. आई. सी. के अलावा होटल मजदूर, छात्र, शिक्षक और फार्मेसी उद्योग के कर्मचारियों ने भी हड़ताल में भाग लिया. बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई. अनेक स्थानों पर विशाल रैलियां और जनसभाएं आयोजित की गयी.

गुजरात

औद्योगिक क्षत्रों में हड़ताल कमोबेश सफल रहीं. एल. आई. सी., जी. आई. सी. तथा बैंकों के अलावा इंजीनियरिंग उद्योगों के मजदूरों ने भारी संख्या में हड़ताल में भाग लिया. अनेक

[पेज बारह पर]

भारतीय लोको कर्मचारियों द्वारा ब्रिटिश लोको कर्मचारियों के प्रति एकजुटता का इजहार

ब्रदर रे बक्टन, महासचिव, एसोसिएटेड सोसाइटी आफ लोको मोटिब इंजीनियर्स एंड फायरमेन, लंदन ने दिनांक 31 जनवरी को एस के घर, महासचिव आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को भेजे एक पत्र में विस्तार से प्रकाश डाला है कि किस प्रकार ब्रिटिश रेलवे बोर्ड ने वेतन बढ़ाने का समझौता एकतरफा तोड़ दिया जिससे वे औद्योगिक हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो गए. यह बताते हुए कि वेतन बढ़ाने का समझौता एकदम स्पष्ट और बिना शर्त था, पत्र में कहा गया—

"इस तथ्य की पुष्टि, कि रेलवे बोर्ड ने स्पष्टत: एक समझौता किया था जिसे उस समय रेलवे मैनेजमेन्ट ने स्वीकार किया था, इसी बात से हो जाती है कि रेलवे बोर्ड के मुख्यालय ने नीचे के दफ्तरों को एक सरकुलर जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जनवरी 1982 में रेल कर्मचारियों की तनख्वाह में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी तथा इसे अगस्त, 1981 से लागू माना जाएगा. पर क्रिसमस से ठीक पहले रेलवे बोर्ड का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया गया था कि चूंकि उत्पादकता सम्बधी मामलों में अपर्याप्त प्रगति हुई हैं, अतः बोर्ड का एकतरफा फैसला है कि पहले हुए समझौते को जिसमें, 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि की बात कही गयी थी, लागू नहीं किया जाए."

ब्रदन बक्टन को भेजे एक तारसंदेश में एस के घर ने कहा—"भारतीय रेलवे का लोको रनिंग स्टाफ ब्रिटिश रेल बोर्ड द्वारा वेतन समझौते को तोड़ने के खिलाफ आपके संघर्ष को पूरा समर्थन देता है. हम आपकी सफलता की कामना करते हैं"

नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन को भेजे गए एक अन्य तार संदेश में में उन्होंने कहा—

'ब्रिटिश रेलवे बोर्ड द्वारा वेतन समझौते को तोड़ने के एकतरफा निर्णय, जिसके कारण एसोसिएटेड सोसाइटी आफ लोकोमोटिव इंजीनियर्स एंड फायरमेन औद्योगिक हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो गयी है, के प्रति भारतीय रेलवे के 82 हजार फुट प्लेट कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व करने वाली आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन तीव्र विरोध प्रकट करती है. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं और मांग करते हैं कि समझौते का पालन किया जाए. कृपया ब्रिटिश रेलवे बोर्ड तक हमारी भावनाएं प्रेषित करे."

नोट:—आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा आई एल ओ को की गयी शिकायतों सम्बन्धी समाचार अगले अंक में प्रकाशित किए जाएंगे.

19 जनवरी के विक्टीमाइजेशन के खिलाफ कोयला मजदूरों की हड़ताल

नेशनल कोल आर्गेनाइजेशन (गवर्नमेन्ट आफ इंडिया) एसोसिएशन (सीटू) ने सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि० को यह नोटिस दे दिया है कि 5 मार्च के बाद किसी भी दिन से कोयला मजदूर हड़ताल पर जा सकते हैं. यह हड़ताल 19 जनवरी की हड़ताल में भाग लेने वाले कोयला मजदूरों के विक्टिमाइजेशन तथा हड़ताल तोड़ने और मजदूरों को आतंकित करने के लिए मैनेजमेन्ट द्वरा इंटक के साथ मिलकर समाज विरोधी तत्वों को हर तरह की मदद देने और हड़ताल के दौरान आग्नेयास्त्रों के इस्तेमाल करने के विरोध में की जाएगी.

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1981 अक्टू.	नव.	दिसं.
बिहार			
जमशेदपुर	435	435	430
झारिया	433	442	440
कोडर्मा	478	497	490
मोंघाइर	503	513	496
नोआमुंडी	432	426	431
गुजरात			
अहमदाबाद	446	447	443
भाव नगर	458	462	464
हरियाणा			
यमुना नगर	488	493	487
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	492	497	477
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	477	479	478
भोपाल	481	483	480
ग्वालियर	483	481	468
इंदौर	484	488	483
महाराष्ट्र			
बंबई	466	470	469
नागपुर	488	484	479
शोलापुर	501	508	521
पंजाब			
अमृतसर	479	485	472
राजस्थान			
अजमेर	478	478	483
जयपुर	495	491	493
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	454	449	440
सहारनपुर	472	471	467
वाराणसी	498	505	496
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	464	464	467
कलकत्ता	429	426	426
दार्जीलिंग	376	379	378
हावड़ा	411	407	405
जलपाइगुरी	369	362	357
रानीगंज	442	441	451
दिल्ली	481	480	474
भारत	460	462	460

वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग

वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. ए. के. एन. सिन्हा, एफ. आर. सी. पी. ने भारत के दवा एवं फार्मेसी उद्योग में लगी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की है.

7 फरवरी को पटना में बिहार स्टेट सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव्ज यूनियन द्वारा "दवाई उद्योग और भारतीय जनता" विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डा. सिन्हा ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पीछे भागने की सरकारी नीति की कटु आलोचना की. उन्होंने कहा कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भर होने से न केवल सार्वजनिक क्षेत्र की जड़ें कमजोर होती हैं बल्कि आत्म-निर्भर होने की सभी कोशिशों पर भी पानी फिर जाता है. उन्होंने कहा कि आजादी के 34 साल बाद भी सरकार देश की अधिकांश जनता को सेहत और दवाएं उपलब्ध कराने में नाकाम रही है. फार्मेसी उद्योग में कार्यरत मजदूरों की इस मांग का समर्थन करते हुए कि दवाओं की कीमतें घटायी जाएं और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, डा० सिन्हा ने भारतीय जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व करनेवाली राजनैतिक पार्टियों से यह उम्मीद जाहिर की कि वे लाखों-करोड़ों जनता की सेहत के लिए आंदोलन छेड़ें.

सम्मेलन की अध्यक्षता बी. एस. एस. आर. यूनियन के अध्यक्ष एस. आर. लस्की ने की. यूनियन के महासचिव सी. एस. शर्मा ने बहुराष्ट्रीय दवाई कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की मांग का प्रस्ताव रखा.

फेडरेशन आफ मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्ज एसोसिएशन आफ इंडिया तथा आल इंडिया केमिकल एंड फार्मस्यूटिकल फेडरेशन के महासचिव जे. एस. मजुमदार ने विस्तार से समझाया कि देश से करोड़ों रुपये बाहर ले जाने के लिए ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां क्या-क्या हथकंडे अपनाती हैं. उन्होंने सीधे-सीधे भारतीय इजारेदार पूंजीपतियों को दोषी ठहराया जो भारतीय जनता का शोषण करने के लिए इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सांठ-गांठ करते हैं. उन्होंने सरकार की इस बात के लिए भर्त्सना की कि वह इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को बिना लाइसेंस के ही दवाएं बनाने देती है तथा ऐसी दवाएं भी बाजार में बिकने देती हैं जिन पर पाबंदी लगी है. उन्होने बताया कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की गतिविधियों का पर्दाफाश करने के लिए फार्मेसी उद्योग में कार्यरत मजदूरों द्वारा चलाए गए संगठित संघर्षों के बाद हमेशा मजदूरों पर मालिकों का नजला गिरा है और बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को नौकरी से बाहर कर दिया गया है. जब मजदूरों ने इस तरह की विक्टिमाइजेशन के खिलाफ संघर्ष छेड़े हैं, हमेशा सरकार ने मजदूरों के जनवादी और ट्रेड यूनियन अधिकारों को कुचल कर इजारेदारों का हौसला बढ़ाया है—चाहे वे हिन्दुस्तानी इजारेदार हों या विदेशी.

उन्होंने हड़तालों पर पाबंदी लगाले वाले काले कानून एसमा की तीव्र निन्दा की और 19 जनवरी की देशव्यापी आम औद्योगिक हड़ताल में शामिल होने के लिए दस हजार मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव्ज और 80 हजार फार्मेसी मजदूरों को बधाई दी. उन्होंने आह्वान किया कि वे देश में चल रहे आम जनवादी आन्दोलन में शामिल होकर आगे बढ़ें.

अन्य वक्ताओं में डा० सी. एस. शर्मा, अध्यक्ष, बिहार स्टेट आई. एम. ए., डा० पी. बी. प्रसाद, हाल ही में पदनिवृत्त अध्यक्ष, डा० के. हजारी, उपाध्यक्ष आई. एम. ए., योगेश्वर गोप, अवैनिक अध्यक्ष एन. जी. ओ. फेडरेशन, एन. के. पाठक, जी. आई. सी., हरिकृष्ण, सीटू, चिन्ता प्रसाद, महासचिव, ए. आई. सी. ए. पी. ई. एफ (बिहार) आदि थे.

कानपुर की जे. के. इंडस्ट्रीज में खलबली

जे.के. ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज के मैनेजमेन्ट की तीव्र मजदूर विरोधी नीतियों के कारण आज उनके कानपुर स्थित सभी प्रतिष्ठानों में आंदोलन चल रहे हैं.

जे. के. जूट मिल के मैनेजमेन्ट के हेंकड़ी वाले रवैये ने ३,५०० मजदूरों को १३ फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है. यह हड़ताल बहुत दिनों से चले आ रहे २९-सूत्री मांगपत्र को लेकर की जा रही है जिसे जे. के. जूट मिल मजदूर पंचायत (सीटू) ने पेश किया था. मांगों में वेतन वृद्धि, डी.ए., ग्रेड और स्केल तथा पश्चिम बंगाल के जूट मजदूरों को मिलने वाला मकान भाड़ा और इमर्जेन्सी के दौरान निकाले गए मजदूरों की बहाली की मांगें शामिल हैं.

जे. के. रेयान में मैनेजमेन्ट इंटक के गुड़ों और पुलिस की मदद से मजदूरों को तंग करना जारी रखे हुए है और सीटू के तहत संगठित बहुसंख्यक मजदूरों की दो साल से चली आ रही मांगें मानने से इंकार कर रहा हैं.

जे. के काटन में मजदूरों को उनके न्यायोचित बोनस से वंचित करने की मैनेजमेन्ट की चालों ने मजदूरों को आन्दोलन की राह पकड़ने पर मजबूर कर दिया है.

पिछले कई सालों से जे. के. मैन्युफैक्चर्स (कैलाश मिल) बंद पड़ी है. हजारों मजदूरों की नौकरी छिन गयी है और वे कठिन संघर्ष कर रहे हैं.

श्रम विभाग खुले आम सिहानिया के साथ मिला हुआ है और पुलिस तथा समाजविरोधी तत्वों द्वारा मजदूरों का संघर्ष कुछलने में लगा है.

एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए जे. के. जूट मिल मजदूर पंचायत के महासचिव मो० जईफ ने मजदूरों का आह्वान किया कि वे अपनी न्यायोचित मांगों के लिए सिहानिया के खिलाफ संयुक्त संघर्ष जारी रखें.

19 जनवरी की सफल हड़ताल

[सेन्टर पेज से]
स्थानों से विशाल जनसभाएं आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं. सूरत में अभूतपूर्व हड़ताल और रैली होने की रिपोर्ट मिली है जहां नगर निगम के हजारों मजदूरों, जिनमें सफाई कार्य करने वाली 600 महिलाएं भी शामिल थीं, ने हड़ताल में भाग लिया. हड़ताली मजदूरों की एक सभा से पुलिस ने 25 नेताओं को गिरफ्तार किया जिनमें एल. आई. सी., जी. आई. सी., बैंकों, प्रोफेसरों, छात्रों, मिल मजदूरों, नगर निगम आदि केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों सीटू और एटक के नेता शामिल थे. चूंकी नेताओं को रिहा नहीं किया गया, अतः हड़ताल 20 जनवरी तक चली. अदालत के बाहर विशाल प्रदर्शनों के बाद अन्ततः 21 जनवरी को नेता रिहा हुए.

महाराष्ट्र

राज्य भर में हजारों यूनियन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया. एल. आई. सी., जी. आई. सी. और बैंकों के अलावा सरकारी कर्मचारियों ने कामयाबी से हड़ताल की. हड़ताल में भाग लेकर फार्मेसी उद्योग के 80 हजार मजदूरों ने बहुराष्ट्रीय दवा कम्पनियों के गढ़ बम्बई को हिला डाला. बम्बई गोदी मजदूरों ने भी पूर्ण हड़ताल रखी. बाजार बंद रहे.

मध्य प्रदेश

उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, सतना, रींवा, शहडोल, भिंड, शिवपुरी, सेवनी, अम्बिकापुर, नीमच आदि नगरों में बंद आयोजित किया गया जिसमें औद्योगिक मजदूरों की कामयाब शिरकत रही. इंदौर में प्रोविडेन्ट फंड, इन्कम टैक्स, पी. डब्ल्यू. डी., डाक-तार विभाग आदि के कर्मचारियों ने दिन-भर के धरनों और प्रदर्शनों में भाग लिया जिन्हें संयुक्त ट्रेड यूनियन काउंसिल की ओर से आयोजित किया गया थ. कृषि विश्वविद्यालय के छात्र, शिक्षक एवं कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए. भारी व हल्के उद्योगों, इंजीनियरिंग उद्योग तथा फार्मेसी उद्योग में कार्यरत मजदूरों में से 85 प्रतिशत मजदूर हड़ताल में शरीक हुए. ग्वालियर और बैलाडीला से भी कामयाब हड़ताल की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. बाक्साइट खानों में पूरी हड़ताल रही. भोपाल में बाजार बंद थे. पुलिस ने तो 15 जनवरी से ही पकड़-धकड़ शुरू कर दी थी.

केरल

केरल में भी हड़ताल ने लगभग बंद की ही शक्ल ले ली थी. दुकाने बंद थीं तथा यातायात पूरी तरह ठप्प हो गया था. खेतिहर मजदूरों ने भारी संख्या में हड़ताल में भाग लिया. सार्वजनिक-और निजी क्षेत्रों समेत राज्य के सभी उद्योगों में हड़ताल व्यापक और बेहद सफल रही. प्रतिक्रियावादी ताकतों और कांग्रेस (आई) के नेतृत्व में काम कर रहे समाजविरोधी तत्वों ने हड़ताली मजदूरों पर नृशंस हमले किये जिनमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के तीन कार्यकर्ता मारे गए. अल्पमत की सरकार के आदेश पर पुलिस ने अभूतपूर्व पाशविक शक्ति का प्रदर्शन किया और लगभग बीस हजार लोगों को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन मजदूर वर्ग के नेतृत्व में दृढ़संकल्पी मेहनतकश जनता उत्तेजित नहीं हुई और उसने हड़ताल को पूरी तरह कामयाब बनाया.

कर्नाटक

कर्नाटक में भी हड़ताल अभूतपूर्व रही. बंगलौर में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के एक लाख से अधिक मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया. राज्य की सभी छोटी-बड़ी फैक्ट्रियों में हड़ताल कामयाब रही. हुबली, मंगलौर, धारवाड़, देवांगरे, मैसूर, बेलगांव आदि स्थानों पर लगभग बंद ही मनाया गया, कोलार की सोने की खदानों के मजदूरों ने हड़ताल रखी. बैंक, एल. आई सी. और जी. आई. सी. पूर्णतः बंद रहे. रिपोर्टों के अनुसार हुबली-धारवाड़ में बैंक अफसरों ने भी हड़ताल में शिरकत की. उडुपी में कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी एक हिस्सा हड़ताल में शामिल हुआ. और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर अपनी एकजुटता का इजहार किया. तीन हजार से अधिक कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए.

आंध्र प्रदेश

हड़ताल के दिन से पहले की गई व्यापक गिरफ्तारियों और मोंडीकुंट में हुई पुलिस फायरिंग जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दो कार्यकर्ता मारे गये, के बावजूद राज्य भर में हड़ताल को भारी सफलता मिली. गुंटूर, पीठपुरम, कोठगुडेम, राजोल, टनुकु, बिनुकोंडा, कोव्वुर, काकीनद, पालकोल, खम्माम, तेनाली, श्रीकाकुलम आदि अनेक स्थानों पर सफलतापूर्वक बंद आयोजित किये किए गए. विजयवाड़ा में दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल आदि बंद रहे. हैदराबाद और विशाखापट्टनम में अधिकांश दुकानें बंद रहीं. औद्योगिक क्षेत्र और खानों में हड़ताल कमोवेश सफल रही. मिली रिपोर्टों के अनुसार एल.-आई. सी., जी. आई. सी. और बैंकों में हुई पूर्ण हड़ताल के अतिरिक्त लगभग 70 प्रतिशत मजदूर हड़ताल में शामिल हुए. आई. डी. पी. एल., एच. ए. एल., ई. सी. आई. एल, बी. डी. एल आदि में भी पूर्ण हड़ताल रही. हैदराबाद समेत अनेक स्थानों पर पुलिस ने निर्मम लाठी चार्ज किया.

तमिलनाडु

पूरे राज्य में हड़ताल को बेहतरीन कामयाबी हासिल हुई. सरकार द्वारा डराने-धमकाने के अलावा पुलिस ने तंजौर जिले के दो गांवों में गोली चलाई जिसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बद्ध दो खेतिहर मजदूर मारे गए. तिरुचि में सिमको मीटर्स फैक्ट्री के पास पुलिस ने अचानक लाठीचार्ज किया जहां 80 प्रतिशत से अधिक मजदूर, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, हड़ताल में शामिल हो गए थे. विभिन्न जगहों पर लगभग पांच हजार मजदूर गिरफ्तार कर लिए गए मद्रास में बी एंड सी

[पेज चौदह पर]

१९ जनवरी की हड़ताल पर भारतीय मजदूरों को फिलिपीनी मजदूरों द्वारा मुबारकबाद

फिलीपीन की ट्रेड यूनियनों के महासचिव कामरेड बोनिफेसियो, वी. टुपाज ने, जो कि फिलीपीन के चार लाख सदस्यों वाले दूसरे बड़े ट्रेड यूनियन संगठन के सेक्रेटरी जनरल हैं, सीटू के नाम अपने एक पत्र में 19 जनवरी की हड़ताल को राष्ट्र व्यापी ऐतिहासिक एकताबद्ध आंदोलन बताया और कहा "हमारे देश के मजदूरों ने भारत के शाहसी मजदूरों का स्वागत किया है".

इसके साथ ही उन्होंने "इंदिरा गांधी द्वारा इस शांति पूर्ण प्रदर्शन के प्रति व्यक्त की गई निकृष्ट प्रतिक्रिया" पर क्षोभ व्यक्त किया हैं.

उन्होंने कहा, "इसी पत्र में मैं एक बार फिर आपके प्रतिनिधित्व वाली भारत की ट्रेड यूनियनों और मजदूरों के प्रति अपनी दृढ़ निष्ठा व्यक्त करता हूं. फिलीपीनी मजदूरों का भारतीय मजदूरों को सलाम".

टर्की और कोलंबिया में मजदूरों पर हुए अत्याचारों का सीटू द्वारा विरोध

सीटू ने टर्की के राष्ट्रपति के नाम अपने एक पत्र में टर्किश प्रोग्रेसिव ट्रेड यूनियन्स (डी. आई एस. के) तथा मेटल वर्कर्स फेडरेशन (मेडन-15) के 52 ट्रेड यूनियन नेताओं पर दमन का विरोध किया है जो कि देश में फासीवाद खतरे के खिलाफ मुहिम चलाते हुए तथा नागरिक स्वतंत्रताओं की मांग करते हुए सभाएं व प्रदर्शन कर रहे थे. टर्की के सैनिक वकील ने इन ट्रेड यूनियन नेताओं के लिए कड़ी सजा की मांग की है.

सीटू इन ट्रेड यूनियन नेताओं की बिना शर्त रिहाई और श्रमिक वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली की मांग करता है.

कोलंबिया के राष्ट्रपति को भेजे एक अन्य संदेश में सीटू ने कामरेड जो से थाओग्विन रोमेरो जो कोलंबिया के नेशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन (फेंट्रा मेटल) की कार्यकारिणी के सदस्य हैं पर झूठे मुकदमे चलाए जाने विरोध किया है. वे मई 1981 से जेल में हैं. सैनिक अदालत उन्हें 20 वर्ष की कैद की सजा देना चाहती है,

कामरेड रोमेरो की रिहाई की मांग करते हुए सीटू ने कोलंबिया के मजदूरों की ट्रेड यूनियन और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति संघर्ष में अपना दृढ़ समर्थन व्यक्त किया है.

कोरिया की ट्रेड यूनियनों की छठी कांग्रेस

कोरिया की ट्रेड यूनियनों की जनरल फडरेशन की छठी कांग्रेस 27-30 नवंबर, 1981 को प्योंगयोंग में हुई. इस कांग्रेस में लगभग 2000 प्रतिनिधियों तथा 1000 प्रेक्षकों ने भाग लिया.

कांग्रेस ने कामरेड किम बोंगजू को अध्यक्ष चुना तथा कामरेड किम जुक साम, मुन ब्योंग रोक, किम योंग नाम तथा किक ह्वी सु केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए.

सीटू के अध्यक्ष कामरेड बी. टी, रणदिवे ने अपने संदेश में कांग्रेस का अभिनंदन किया.

बंगलादेश खेत मजदूर फेडरेशन का सम्मेलन

24 दिसंबर 1981 को ढाका में बंगलादेश खेत मजदूर फेडरेशन का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ. सीटू के अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने फेडरेशन के महासचिव कामरेड नूरुल अनवर के नाम निम्नांकित संदेश भेजा.

"निमत्रण के लिए धन्यवाद आने के लिए असमर्थता पर खेद है. हमारी कामना है कि आपकी दूसरी राष्ट्रीय कांफ्रेंस को ट्रेड यूनियन अधिकारों और मजदूरों के जीवन स्तर की रक्षा में सफलता मिले. अपने शत्रु की प्रगति को रोकने तथा उसको शिकस्त देने के लिए दोनों देशों की जनता के बीच मित्रता तथा सहयोग बहुत जरूरी है. हार्दिक अभिनन्दन."

विश्व ट्रेड यूनियन की दसवीं कांग्रेस

संसद सदस्य तथा सीटू के कोषाध्यक्ष समर मुखर्जी विश्व ट्रेड यूनियन की दसवीं कांग्रेस, (10-15 फरवरी, 1982) में भाग लेने के लिए 6 फरवरी को नई दिल्ली से रवाना हुए.

इस विषय पर अगले अंक में रिपोर्ट प्रकाशित होगी.

युद्ध के खिलाफ कन्फेडरेशन

रोमानिया के जनरल ट्रेड यूनियन की केंद्रीय समिति ने हाल में ही सीटू के प्रति अपने संदेश में उन कार्यों का उल्लेख किया हैं जो शांति और निशस्त्रीकरण का आंदोलन तैयार करने के संदर्भ में उनके द्वारा किए जा रहे हैं.

सीटू विश्व भर में श्रमिक वर्ग के साथ मिलकर युद्ध के खतरे के विरुद्ध संघर्ष चलाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है.

सीटू प्रकाशन

बढ़ता दमन, शक्तिशाली संघर्ष

(हिंदी में)

लेखक :

बी. टी. रणदिवे

अध्यक्ष, सीटू

कीमत : 80 पैसे

लिखें :

सीटू कार्यालय,
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली-110001

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

नीरेन घोष — सुधीन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

वेतन जाम का विरोध करो

(पेज एक से)

होती है कि जे. सी. एम. के नेतृत्व के एक हिस्से ने यह प्रस्ताव मान लिया है जो भुगतान को टालने और मांगों पर पाबंदी लगाने की बात करता है और वेतनजाम का पूर्वाभास देता है.

यहां यह याद दिलाता जा सकता है कि इंटक की जनरल काउंसिल तक ने 27-28 दिसम्बर, 1981 को कलकत्ते में हुई अपनी बैठक में कहा था कि "काउंसिल की यह सोची-समझी हुई राय है कि इस समय किसी भी किस्म का वेतन जाम न तो संभव है न व्यावहारिक ही············केवल वेतन जाम करने, यदि ऐसा हुआ तो, का असर उल्टा ही होगा." लेकिन इसके बावजूद इंटक से सम्बद्ध एन. एफ. आई. आर. और एफ. एन. पी. टी. ओ. सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करने से न चूके.

विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन ने सरकार को 15 फरवरी 1982 को जे. सी एम. की स्टैंडिंग कमेटी की औपचारिक बैठक बुलाने पर मजबूर कर दिया. बैठक में औपचारिक रूप से विरोध व्यक्त किया गया. मंत्रिमंडल सचिव ने मजदूरों में फूट डालने के लिए एक किस्म के विकल्प का प्रस्ताव रखा है. यह पुरानी चाल है. 16 फरवरी को का० बी. टी. रणदिवे और पी रामभूति ने एक और व्यक्तव्य जारी किया है जिसमें कहा गया है : केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (डी. ए.) के एक हिस्से को मूल वेतन में जोड़े जाने से मिलने वाले लाभों तथा डी.ए. की तीन किस्तें दिये जाने से होने वाली आमदनी को जब्त करने तथा उन आर्थिक मांगों पर, जिन पर पिछले दो सालों से समझौते की बातचीत चल रही थी, पाबंदी लगाने के कुख्यात सरकारी प्रस्ताव के खिलाफ जे. सी. एम. की स्टाफ साइड के भीतर उभरे प्रतिरोध का सीटू स्वागत करता है. जिसे दोनों पक्षों के बीच समझौता कहकर प्रचारित किया जा रहा है, उसका कन्फेडरेशन आफ सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट एम्प्लाईज, एन. एफ. पी. टी. ई. के नेताओं, डिफेन्स कर्मचारियों सहित स्वयं ए. आई. आर. एफ. के एक हिस्से ने जोरदार विरोध किया है.

सीटू इस प्रस्ताव की भर्त्सना करता है कि सरकारी फैसले को उन लोगों पर लागू माना जाए जो इस पर सहमत हैं क्योंकि इसका अर्थ होगा केन्द्र सरकार के जल्दी रिटायर होने वाले कर्मचारियों तथा बहुत बाद में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के बीच फूट डालना. रेलवे ट्रेड यूनियन के नेताओं से सीटू खास तौर से अपील करता है कि वे सरकार की इस फूटपरस्त चाल के शिकार न बनें क्योंकि यह रेलकर्मचारियों की लम्बे अरसे से चली आ रही वाजिब मांगों के नकार के साथ-साथ वेतन जाम का पूर्वाभास भी है. ऐसे प्रस्ताव से सहमत होने का मतलब होगा मजदूर वर्ग के साथ विश्वासघात करना और उस संयुक्त संघर्ष की जड़ें कमजोर करना जो 4 जून के बम्बई सम्मेलन के माध्यम से पनपा और जिसकी परिणति 19 जनवरी की एक दिन की शानदार देशव्यापी आम औद्योगिक हड़ताल में हुई.

19 जनवरी की हड़ताल

[पेज बारह से]

मिल्स, अशोक लेलैंड, मद्रास रबर फैक्ट्री, मैटल बाक्स, यूनियन कार्बाइड, बैस्ट एंड कम्पनी, हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स, मैकनील एंड मैगोर, इंडिया मीटर, डनलप, इंगलिश इलेक्ट्रानिक, बिन्नी इंजीनियरिंग, स्टैंडर्ड मोटर्स सहित लगभग सभी औद्योगिक इकाइयों और पूर्ण हड़ताल रही. अम्बत्तुर एवं गुइंडी के औद्योगिक क्षेत्रों में भी हड़ताल पूरी तरह सफल रही. कोयम्बटुर, थिरुप्पुर आदि में बंद रखा गया. सभी टैक्सटाइल, इंजीनियरिंग, होजरी, पावरलूम आदि उद्योगों में हड़ताल सफल रही. यही स्थिति कोयम्बटूर और नीलगुड़ी जिलों के बागानों में थी मदौर जिले में अनेक टेक्सटाइल इकाइयों, टैनरी और हैंडलूम में काम करने वाले मजदूर भी हड़ताल पर रहे. सलेम जिले में हड़ताल मैग्नेसाइट फैक्ट्रियों और टैक्सटाइल मिलों में सफल रही तथा नगर पालिका और विद्युत वितरण विभाग के मजदूर भी हड़ताल में शामिल हुए. उत्तरी आरकाट जिले में तीस हजार से अधिक बीड़ी, टैनरी, टैक्सटाइल और नगर पालिका मजदूर हड़ताल पर रहे. रानीपेट औद्योगिक केन्द्र और अरकोनम इस्पात फैक्ट्री से सफल हड़ताल की रिपोर्ट मिली है. दक्षिणी आरकाट जिले में ई० आई० डी० पैरी शुगर फैक्ट्री सिरेमिक फैक्ट्री तथा दूसरी औद्योगिक इकाईयों के मजदूर हड़ताल में शरीक हुए. कुकारी और तिरुनेलवेल्ली जिलों से भी ऐसी रिपोर्ट मिली है. विद्युत और परिवहन विभाग के मजदूरों ने भी हड़ताल में भाग लिया. बैंकों, एल. आई सी और जी. आई सी. में पूरी हड़ताल रही. केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों ने प्रदर्शन करके तथा काले बिल्ले पहनकर अपनी एकजुटता प्रकट की.

पुलिस फायरिंग और दमन के खिलाफ राज्य भर में 22 जनवरी 'विरोध दिवस' के रूप में मनाई गयी तथा राज्य अभियान समिति के तहत विशाल रैलियां और सभाएं आयोजित की गयीं और मुख्यमंत्री को विरोध प्रकट करते हुए तार भेजे गए.

पांडिचेरी

19 जनवरी को पांडिचेरी में सम्पूर्ण बंद आयोजित किया औद्योगिक इकाइयों, बैंकों, बीमा तथा सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले मजदूरों-कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया. दुकानें, होटल आदि व्यावसायिक दफ्तर बंद रहे. सैंकड़ों मजदूर गिरफ्तार किये गए.

[पेज पंद्रह पर]

सीटू एक बार फिर सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से अपील करता है कि वे एकजुट हों और देश के मजदूर वर्ग के वृहत्तर हितों की खातिर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को समर्थन प्रदान करें."

जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, सरकार की इस चाल के खिलाफ विरोध भी बढ रहा है.

अंडमान-निकोबार

हड़ताल की गहराई और व्यापकता का भारी असर अंडमान-निकोबार द्वीप समूह पर भी हुआ. हर प्रकार की धमकियों, बाधाओं और पुलिसबल का सामना करते हुए समूचे द्वीपसमूह में जुलूस, रैलियां और प्रदर्शन किए गए प्रदर्शनकारियों को माइक तक का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गयी थी. सरकारी कर्मचारियों और मजदूरों की समन्वय समिति के बैनर के नीचे कैम्पबेल बे से लेकर डिगलीपुर तक 19 जनवरी के दिन प्रदर्शन और रैलियां हुई. राष्ट्रीय अभियान समिति की तेरह-सूत्री मांगों में यहा के मजदूरों और कर्मचारियों ने अंडमान विशेष भत्ता दिये जाने और क्रेडिट नोट की सुविधा बहाल किए जाने की अपनी दो मांगें भी जोड़ दी थीं. पोर्ट ब्लेयर में एक शानदार जुलूस निकाला गया जिसमें अनेक यूनियन कार्यकर्त्ताओं और सरकारी कर्मचारियों—यहां तक कि डी. एम. के. पब्लिक वर्क्स लेबर यूनियन और अंडमान सरकार कृषक कर्मचारी संघ में शामिल कर्मचारियों ने भी भाग लिया. जुलूस रत्नम बाजार पर जाकर खत्म हुआ और वहां एक रैली की गयी. रैली ने एन. एस. ए. और एसमा को वापस लिये जाने की मांग की. प्रशासन ने एक आदेश जारी किया कि कोई भी कर्मचारी 19 जनवरी को छुट्टी नहीं ले सकता.

इस तरह भारत के मजदूर आन्दोलन के इतिहास में 19 जनवरी की हड़ताल ने एक और शानदार अध्याय जोड़ दिया. एकता की अदम्य इच्छा एक ऐसे समय पर आकर व्यक्त हुई जब स्थिति का तकाजा था कि सरकार द्वारा उठाये जा रहे एक के बाद एक तानाशाही कदम और विघटनकारी ताकतों को शिकस्त देने के लिए एकता बने. जो लोग इस हड़ताल में शामिल नहीं हो पाए, वे भी आने वाले संघर्षों में जरूर शामिल होंगे. इस बात की तैयारियां चल रही हैं कि 23 फरवरी को सरकार के दमन के खिलाफ व्यापक स्तर पर अखिल-भारतीय विरोध दिवस मनाया जाए. हमें उम्मीद है कि सरकार की नीतियों में बदलाव लाने के लिए मजदूर और मेहनतकश जनता के और भी व्यापक हिस्से अप्रैल के मध्य में होने जा रहे प्रस्तावित दूसरे सम्मेलन में शामिल होंगे.

यूनियन बैंक कर्मचारियों की हड़ताल

१६ फरवरी को भारत भर में यूनियन बैंक कर्मचारी ट्रेड यूनियद कार्यकर्ताओं के मैनेजमेन्ट द्वारा विक्टिमाइजेशन के खिलाफ एक दिन की हड़ताल पर रहे. हड़ताल आह्वान लाल इंडिया फेडरेशन आफ यूनियन बैंक एम्प्लाईज ने दिया था.

हड़ताल के समर्थन में बैंक एम्प्लाईज फेडरेशन आफ वेस्ट बंगाल ने बी. बी. डी. बाग, कलकत्ता में एक जन रैली आयोजित की. रैली को सम्बोधित करते हुए फेडरेशन के महासचिव नरेश दास ने मजदूरों का आह्वान किया कि वे तब तक संघर्ष जारी रखें जब तक मैनेजमेन्ट उनकी मांगे नहीं मान लेता.

अगर विवाद हल न हुआ, तो आल इंडिया फेडरेशन आफ यूनियन बैंक एम्प्लाईज 5 मार्च को पुनः एक दिन की हड़ताल करेगे.

बंबई कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल

19 फरवरी को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के संसद सदस्य दीपेन घोष ने कहा कि "18 जनवरी 1982 से बम्बई में लगभग 2 लाख कपड़ा मिल मजदूर हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल के कारण अब तक 60 लाख श्रमदिनों की हानि हो चुकी है. न केवल लाखों श्रमदिनों की हानि हुई है बल्कि कपड़ा उद्योग के राजस्व देने वाला उद्योग होने के कारण, सरकारी राजस्व और विदेशी मुद्रा की भी हानि हुई है."

हड़ताल के नेताओं से समझौता-वार्ता न करने के लिए सरकार की भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार यह तर्क देती है कि मैनेजमेंट पहले ही तथाकथित "मान्यता प्राप्त यूनियन" के साथ समझौता कर चुका है, पर यह तथ्य कि हड़ताल एकदम पूरी हुई है, साबित कर देता है कि मान्यताप्राप्त यूनियन को मजदूरों का समर्थन हासिल नहीं है. अगर इस यूनियन के पीछे ज्यादातर मजदूर होते तो इतने अरसे तक कोई और नेता उन्हें अपनी ओर नहीं खींचे रह सकता था. बयान दिया गया है कि जोर-जबर्दस्ती की गयी. मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि जोर-जबर्दस्ती की गयी या नहीं पर कम से कम मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जोर-जबर्दस्ती से कुछ मजदूरों को तो काम पर जाने से रोका जा सकता है, पर बम्बई के तमाम कपड़ा मिल मजदूरों को नहीं. जोर-जबर्दस्ती करके सब मजदूरों को काम पर जाने से नहीं रोका जा सकता. अतः जोर-जबर्दस्ती वाली बात सही नहीं नहीं है."

सरकार के इस बयान, कि कपड़ा मिल मजदूरों को बढ़ी हुई तनखाह मिलती रही है, पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए उन्होंने कहा "यह सही है कि कपड़ा मिल मजदूर महीने में लगभग 650 रु० पाते हैं. पर क्या यह तनखाह बम्बई के इंजीनियरिंग मजदूर की तनखाह से कम नहीं है ? क्या यह अन्य तुलनीय उद्योगों में काम कर रहे मजदूरों की तनखाह के मुकाबले कम नहीं है ? मुझे खुशी होती अगर माननीय मंत्री ने बताया होता कि किस प्रकार मिल मालिक भारी मुनाफे कमाते रहे हैं."

मजदूरों की मांग का औचित्य सिद्ध करते हुए उन्होंने कहा कि "सरकार को कपड़ा मिल मजदूरों की इस मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए कि उन्हें अन्य तुलनीय उद्योगों के मजदूरों के बराबर वेतन दिया जाए, या 200 रु० प्रति माह की अंतरिम सहायता दी जाए. सरकार को यह नहीं कहना चाहिए कि 200 रु० की मांग बहुत ज्यादा है."

उन्होंने इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त की कि "केंद्र सरकार को इस हड़ताल से सीधी हानि हो रही है क्योंकि नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन भी हड़ताल में शामिल है. उसकी वहां कुछ मिलें हैं. अतः यदि मंत्री महोदय हड़ताल को तुरन्त समाप्त कराने के इतने ही इच्छुक हैं, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वे बम्बई के कपड़ा उद्योगों से सरोकार रखने वाली सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की एक बैठक बुलाएं और हड़ताल खत्म करने का फार्मूला निकालने की कोशिश करें."

बंधुआ, प्रवासी और अस्थायी मजदूरी पर स्थायी समिति की सभा

13 जनवरी को दिल्ली में भारत सरकार के श्रम विभाग द्वारा नियोजित केंद्रीय स्थायी समिति की बंधुआ, प्रवासी और अस्थायी मजदूरों पर पहली बैठक आयोजित की गई. सीटू की ओर से जगजीतसिंह लायलपुरी ने बैठक में भाग लिया. बैठक का उद्देश्य था बंधुआ, और अस्थायी मजदूरी को व्याख्यायित करना तथा उसकी समस्याओं और समाज में उसे फिर से बसाने के बारे में विचार करना. किंतु, श्रम विभाग ने जो रिपोर्ट पेश की वह इस विषय पर समग्रता से विचार करने के लिए नाकाफी थी.

जगजीतसिंह लायलपुरी ने इस बात पर जोर दिया कि 'बंधुआ और प्रवासी मजदूरी' की व्याख्या व्यापक आधार पर की जानी चाहिए ताकि उसमें वे सभी लोग आ जाएं जो कि गरीबी, निराश्रय और निवास स्थान पर नौकरी की उचित सुविधाएं न मिल पाने के कारण न्यूनतम निर्धारित वेतन से भी कम वेतन पर काम करने को मजबूर हो जाते हैं और निवास, स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा इत्यादि न्यूनतम सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं. ऐसी मजदूरी सामान्यतः उन्हें रोजगार के लिए घर छोड़ने पर मजबूर कर देती है. ऐसे लोगों की भरती ठेकेदारों और उनके एजेंटों द्वारा की जाती है जो कि विभिन्न सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों में कार्यरत हैं. लायलपुरी ने संकेत किया कि दिल्ली में ही एशियन खेलों के लिए हो रहे निर्माण-कार्यों में इसी प्रकार के मजदूर लगे हुए हैं. उन्होंने आगे कहा कि बंधुआ और प्रवासी मजदूरी की समस्या इसलिए बनी हुई है कि आजादी के 34वर्षों बाद भी देश के अनेक बड़े क्षेत्र तथा अंचल बहुत ही पिछड़े तथा अविकसित हैं. नतीजतन उन क्षेत्रों के लोग दयनीय गरीबी में जी रहे हैं. इसलिए इस प्रकार के क्षेत्रों के विकास पर बल दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को उनके निवास स्थान के पास ही उचित रोजगार मुहैया किया जा सके. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि समिति को इस प्रकार की मजदूरी में रोजगार की शर्तों को स्पष्ट करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अधिकांश बंधुआ और प्रवासी मजदूर अनुसूचित जनजातियों के हैं.

अस्थायी मजदूरी के संबंध में उन्होंने कहा कि उसका अधिकांश तो सरकार के ही तहत आता है, जैसे रेलवे, पी डब्ल्यू डी तथा अन्य योजनाओं में अनुचित श्रम नियमों के तहत उनकी सेवाएं 89 दिनों के बाद समाप्त कर दी जाती हैं और वे एक ही रोजगार में साल दर साल अस्थायी और असुरक्षित बने रहते हैं. श्रम विभाग के निर्देशों की अवहेलना करने में स्वयं सरकारी संस्थाएं भी किसी एक नीति से बंधी हुई नहीं हैं. लायलपुरी ने साफ शब्दों में कहा कि भविष्य में सभी सरकारी संस्थाओं के लिए अस्थायी मजदूरी के संबंध में एक आदर्श स्थायी नीति लागू की जानी चाहिए.

अंत में यह निर्णय लिया गया कि एक ऐसी उपसमिति का गठन किया जाए जो बंधुआ, प्रवासी और अस्थायी मजदूरी के संबंध में मुद्दों और शिकायतों के विषय में विचार करके उनका निपटारा करे.

मेडिमपेक्स में त्रिपक्षीय समझौता

मेडिमपेक्स मजदूर यूनियन (सीटू) के प्रतिनिधित्व में मेडिमपेक्स (इंडिया) प्राइवेट लि. के मजदूरों ने पटना में 12 जनवरी को मैनेजमेंट को एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने पर मजबूर कर दिया. औषधिनिर्माण करने वाली इस कंपनी ने पिछले कुछ महीने पहले यूनियन के साथ हुए द्वितीय समझौते के बावजूद दूसरी बार मजदूरों को ले आफ का शिकार बनाया. निर्भीक मजदूरों ने अनिश्चितकालीन धरना आरंभ कर दिया तथा प्रतिदिन विशाल गेट मीटिंगें आयोजित कीं जिनमें अन्य सहयोगी ट्रेड यूनियनों ने भी साथ दिया. परिणामतः मैनेजमेंट को डिप्टी लेबर कमिश्नर के साथ बातचीत करनी पड़ी तथा त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े. समझौते के अनुसार मजदूरों को अपने वेतन की बकाया राशि मिलेगी. यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में मैनेजमेंट किसी भी विवाद पर मजदूर विरोधी निर्णय लेने से पहले उसे यूनियन के अध्यक्ष सी. एस. शर्मा के सामने रखेगी. कोई रास्ता न मिलने पर विवादों को डिप्टी लेबर कमिश्नर के हाथ में दे दिया जाएगा.

बरसुआ खानों में अनिश्चितकालीन हड़ताल

राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत बरसुआ आयरन माइन्स के श्रमिकों ने सेवा-शर्तों में एकतरफा परिवर्तन तथा बिजली की दरों में वृद्धि के विरोध में 25 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी.

1958 में खदानों के शुरू होने के वक्त से ही श्रमिक प्वाइन्ट के आधार निश्चित दर से बिजली का खर्च देते रहे हैं क्योंकि खदान-क्षेत्रों में बहुत अधिक सर्दी पड़ती है. अचानक ही मैनेजमेंट ने सभी सुविधाएं समाप्त कर देने का एकतरफा निर्णय ले लिया. श्रमिकों की सेवा-शर्तों में परिवर्तन कर दिया तथा बिजली की दरों में 600 से 700 प्रतिशत की वृद्धि कर दी. सीटू, एम एच एस तथा इंटक की यूनियनों ने संयुक्त एक्शन कमेटी के तहत संयुक्त संघर्ष चलाया. बातचीत के लिए की गई सभी मीटिंगें असफल हो गईं, तब संयुक्त कार्यकारी समिति ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी.

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के लिए 6 तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी 52-53 डी.डीए. शेड्स, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित